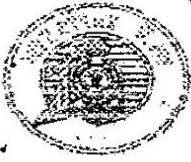


2 pages

452

पूर्वात्तर रेलवे



1
25/12/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-11-30

क्रमांक-252/2017

आरबीई सं०-142/2017

सं० का/207/1/भाग-24/चार

दिनांक 01-12-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वात्तर रेलवे।

विषय—सेवा में मृत्यु और अशक्तता के मामले में विशेष लाभ—सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन में केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान व विनियम।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० एफ(ई)।।।/2008/पीएन 1/20 दिनांक 04.10.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 12.08.2016 इस कार्यालय के परिपत्र संख्या ई/207/2/भाग-28/चार दिनांक 29.08.2016 (क्रमांक-133/2016) द्वारा पूर्व में परिचालित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुव एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वात्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

PCPO, PFA

2
250/2017

PC-VII No.: 65/2017

R.B.E. No.: 142/2017

34

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/PN1/20

New Delhi, Dated : 04.10.2017

The GMs/FA&CAOs,
All Zonal Railways/Production Units,
(As per mailing list)

NER, Gorakhpur.

Subject: Special benefits in cases of death and disability in service-regulation and payment of Disability Pension/Family Pension under Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules in implementation of recommendations of the 7th Central Pay Commission - regarding.

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 1/4/2016-P&PW(F) dated 2nd August, 2017 on the above subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on Railways also. CCS (Extraordinary Pension) Rules correspond to Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993. Department of Pension & Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 38/37/2016-P&PW(A)(i) dated 04.08.2016, mentioned in DOP&PW's O.M. dated 02.08.2017, was adopted on Railways vide this office's letter No. 2016/F(E)III/1(1)/8 dated 12.08.2016.

G. Priya Sudarsani

(G. Priya Sudarsani)
Joint Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

D.A.: As above.